टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत

संख्या: 428541/III(2)/2026-E.14884/2022

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 03 सितम्बर, 2026

विषयः टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र–नानकमत्ता के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों, जिसके अंतर्गत मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 3.800 कि0मी0) के निर्माण की कुल लागत ₹ 152.79 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई कुल धनराशि ₹ 152.79 लाख (₹ एक करोड बावन लाख उनासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में कार्य पर व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10/– (₹ दस हजार मात्र) अर्थात कुल 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

धनराशि (लाख ₹ में)

क0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत बैलखेडा से पहरौनी मार्ग की ओर मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य (विस्तृत आगणन) (प्रोजेक्ट आई0डी0 5131)	1.500	47.61	0.10
2	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत देवकली सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 2 से नहर पटरी होते हुए सरदार मटिहा, बरीक सिंह, संतोष सिंह आदि के घर की ओर मार्ग का नव निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (प्रोजेक्ट आई0डी0 2510)	2.300	105.18	0.10
	योग	3.800	152.79	0.20

Scanned with OKEN Scanner

2— उक्त स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:—

I. विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

II. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/149101/xxvii(7)/E 20109/2022, दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो आहरण नहीं किया जायेगा, अर्थात् दोहराव की स्थिति नहीं हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाये।

III. सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या. I/276791/2025 ई—पत्रावली संख्या. 23430{15(सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।

IV. कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व Existing Crust के Record Measurement माप पुस्तिका में निर्दिष्ट अन्तराल पर किये जाये तथा इसकी 100 प्रतिशत चैकिंग सहायक अभियन्ता द्वारा की जाय।

V. मार्ग के ड्रेनेज प्लान बनाकर अधिशासी अभियन्ता मार्ग पर समुचित ड्रेनेज के सम्बन्ध में सतुष्ट हो लें।

VI. पी0सी0 का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मार्ग का बेसकोर्स विशिष्टियों के अनुसार चैक कर लिया जाय।

VII. कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व क्रस्ट का डिजाइन अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करवा लिया जाय।

VIII. मार्ग के ड्रेनेज प्लान बनाकर अधिशासी अभियन्ता मार्ग पर समुचित ड्रेनेज के सम्बन्ध में सतुष्ट हो लें।

IX. शासनादेश सं0 125 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं 341 दिनांक 01 नवम्बर, 2012 एवं उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम 2013 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिससे अधिक से अधिक लाभ अनुसूचित जनजाति के परिवारों/व्यक्तियों को प्राप्त हो। अन्यथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी।

X. इस सम्बन्ध में एक प्रमाण—पत्र नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायेंगे कि उक्त कार्य जहां के लिये स्वीकृत किया गया है, वह कार्य उसी गांव व स्थान में हुआ है। जिसका अधिक से अधिक लाभ अनु0जनजाति के ही परिवारों/व्यक्तियों को ही हुआ है। इस सम्बन्ध में विभाग अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें।

XI. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में शासन की पूर्वानुमति के बिना अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

XII. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

XIII. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

XIV. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

XV. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

XVI. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

XVII. यदि विषयगत कार्यों को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

XVIII. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॉक्यौरमेन्ट रूल्स– 2025 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

XIX. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

XX. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या. 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

XXI. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या. 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई0डी0 द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या– 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

XXII. कार्यस्थल के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समय–समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाए।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में लोक निर्माण विभाग के **अनुदान सं.–31** लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य –02 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण

Scanned with OKEN Scanner

(5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त अनुभाग–2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक–I/427055/2026 दिनांक 27 अगस्त, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 02-09-2026
17:30:46

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्डए कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ऊधमसिंहनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/42854/2026
अनुदान संख्या -031

आवंटन आई डी-S26090310006
आवंटन पत्र दिनांक-03-SEP-2026

लेखा शीर्षक
5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
337-सड़क निर्माण कार्य
00--
04-जिला तथा अन्य सड़कें
02-नया निर्माण कार्य

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	20000	20000	0	40000
योग	20000	20000	0	40000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

UTTARAKHAND

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक-1120 /20याता०'क'(वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026, दिनांक-9 सितम्बर 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 04 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर
3. अधिशासी अभियन्ता, CD खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय,लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

09/09/26

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner